

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

पटना, दिनांक— 11.01.25  
 सं0सं0-17 / विविध-01-207 / 2024 51(17) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता  
 परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा अनुशांसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है—

[RADIOTHERAPY-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000110	APARAJEETA	UR	UR	31-12-1993	F	N	DMCH, Darbhanga
2	9240000210	YASMIN NASIR	EB	UR	28-02-1997	F	N	PMCH Patna

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम-11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियों नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल-9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियों स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-22(1) दिनांक-11.01.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा सर्वग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा मूल शपथ-पत्र / विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र / विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य / अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य / अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेंगे।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर के रिक्त पद के विरुद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद-त्याग करना चाहते हो तो 03 माह पूर्व प्राचार्य / अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।

११.१.२५

11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर यदि लगातार 15 दिनों से अधिक दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक -17 / विविध-01-207/2024 - 51(17) पटना/दिनांक - 11.01.25

प्रतिलिपि :- महालेखाकर (लै0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Reenu Kumar  
11.01.2025*

विशेष कार्य पदाधिकारी।